Government of Rajasthan
Social Justice and Empowerment Department

No. F. 2 (21) /SCSP/SCAVENGER/PEMSR ACT 2013/ 6708 Jaipur Dated--- 3/11/14

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act No. 25 of 2013), the State Government hereby confer the powers of the Judicial Magistrate First Class for the trial of offence under the said Act.

For the areas of Municipal Corporation Additional District Magistrate

For other urban & all rural areas Sub-Divisional Magistrate

By order of the Governor,

(Maneesh Goyal)

Deputy Secretary of the Government

No. F. 2 (21) /SCSP/SCAVENGER/PEMSR ACT 2013/ 6709-91 Jaipur Dated-- 3/11/14

Copy forwarded to-

1 Secretary, Hon'ble Chief Minister Government of Rajasthan.
2 Senior Deputy Secretary ,Chief Secretary, Government of Rajasthan.
3 P.S Hon'ble Minister Social Justice and Empowerment Department.
4 P.S. ACS, Administrative Reforms Department.
5 P.S. ACS,,Local Bodies Department.
6 P.S. Principal Secretary,Law Department.
7 P.S. Principal Secretary,Social Justice And Empowerment Department
8 P.S. Secretary,Personal Department.
9 P.S. Secretary,Panchayati Raj Department.
10 P.S. Director, Social Justice And Empowerment Department.
11 Director, Local Bodies Department.
12 All District Collectors ---------- Rajasthan with additional copy to send all Additional District Magistrate and Sub – Divisional Magistrate under their jurisdiction.
13 Director, Government press Jaipur to publish the notification in gazette.
14 ACP, to download on Departmental Website and send copy to all concerd by email.
15 All Deputy Director/ Asst. Director/DPSW Social Justice And Empowerment Department, Rajasthan.

Deputy Secretary of the Government

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः एफ 2(21)एससीएसपी./स्केवेन्जर/पीईएमएसआर एक्ट 2013/6708 जयपुर, दिनांक 3/11/14

अधिसूचना

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं.25) की धारा 21 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां इसके द्वारा निम्नलिखित को प्रदत्त करती है,–

नगर निगम के क्षेत्रों के लिए	–	अपर जिला मजिस्ट्रेट
अन्य नगरीय और समस्त ग्रामीण क्षेत्रो के लिए	–	उप–खण्ड मजिस्ट्रेट

राज्यपाल के आदेश से,

(मनीष गोयल)
शासन उप सचिव

क्रमांकः एफ 2(21)एससीएसपी./स्केवेन्जर/पीईएमएसआर एक्ट 2013/6709-91 जयपुर, दिनांक 3/11/14

प्रतिलिपि पालनार्थ –

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजि सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. निजि सचिव, अति. मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
5. निजि सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
8. निजि सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
9. निजि सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
10. निजि सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
12. समस्त जिला कलक्टर .....राजस्थान को अतिरिक्त प्रति के, समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेटह को भिजवाने बाबत्।
13. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
14. एसीपी, मुख्यावास को विभागीय वैवसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल द्वारा भिजवाने बाबत्।
15. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....

शासन उप सचिव